

भारतीय सजीव कृषि समाज ओ.एफ.ए.आई.
थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क, मलेशिया तथा गाजियाबाद
(उ.प्र.) स्थित नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग
द्वारा

अतिविशिष्ट जैविक कृषि तकनीकों पर दक्षिण एशियाई आंचलिक सम्मेलन

दिनांक : 10 एवं 11 सितम्बर 2009

कार्यस्थल : जी.के.वी.के. कैम्पस,
कृषि विश्वविद्यालय,
बेंगलुरु (कर्नाटक)

अभिनंदन

श्री जयराम रमेश

पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार

सम्मेलन में

भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका,
बंगलादेश, म्यांमार, मलेशिया एवं इथियोपिया
आदि के सजीव (जैविक) किसानों तथा
सजीव खेती के प्रोत्साहक महानुभावों तथा
सम्मानित अतिथियों का
स्वागत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता है।

हमें आशा है

इस आयोजन में अनुभवी सजीव किसानों के ज्ञान
एवं तकनीकों के आदान-प्रदान का अच्छा
वातावरण रहेगा तथा इसमें सहभाग करने वाले
सभी लोग पूर्णतः लाभान्वित होंगे।

हम

12-13 सितम्बर 2009 को

बेंगलुरु नगर के लाल बाग परिसर में जैविक
खाद्य उत्सव
के आयोजन की सफलता की कामना करते हैं।

डॉ. भारतेन्दु प्रकाश

निदेशक

भारतीय सजीव कृषि समाज,

उत्तर भारत सचिवालय,

किसान विज्ञान केन्द्र परिसर, तिन्दवारी,

बांदा 210128 (उत्तरप्रदेश)

जहर बुझा खाद्यान्न खाता समाज

हाल ही में केन्द्र सरकार ने
किसानों द्वारा सब्जियों का आकार और

● डॉ. खुशाल सिंह पुरोहित

वजन बढ़ाने के लिये फसलों को ऑक्सीटोसिन
इंजेक्शन दिये जाने पर रोक लगाने के लिये उसके
निर्माण और वितरण पर निगरानी के निर्देश दिये हैं।

संसद में केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य राज्यमंत्री के.वी.
थामस ने स्वीकार किया कि उत्तरप्रदेश और पंजाब के

कुछ क्षेत्रों में किसान
लौकी एवं कद्दू जैसी
सब्जियों का आकार
और वजन बढ़ाने के
लिये हार्मोन टीकों का
इस्तेमाल कर रहे हैं।

हरित क्रांति में
फसलों की पैदावार व
उनकी बीमारियों तथा
कीटों से रक्षा के लिये
रसायनिक खाद,
हार्मोन, कीटनाशकों
एवं मशीनों पर काफी
जोर दिया गया। इससे
भारतीय कृषि के
परम्परागत परिदृश्य में

व्यापक परिवर्तन आया। उसके बाद भारतीय कृषि में
नये-नये प्रयोग लगातार चलते रहे हैं। अभी कुछ वर्षों
में जैव संवर्धित (जीएम) बीजों के अभियान ने खेती
किसानी और जनसामान्य के लिये नये संकट का
सूत्रपात्र किया है। इन जेनेटिकली मोडीफाइड बीजों में
फसल को कीड़ों से बचाने के नाम पर कुछ बैक्टीरिया
डाले जाते हैं। ये बीज बहुत महंगी दरों पर बेचे जाते
हैं। इसके अतिरिक्त इन फसलों का रखरखाव भी
काफी महंगा पड़ता है। जीएम खाद्य से जनस्वास्थ्य
को होने वाले नुकसान के प्रति सरकार की चिंता
दिखाई नहीं दे रही है।

कपास के बीज में बेसिलस थुरेन्जेनेसिस नामक
बैक्टीरिया के प्रवेश के बाद बने बीटी कपास की खेती
हमारे देश में हो रही है। इस जहरीले कपास के पत्ते
एवं डंठल खाने से पशुओं में चर्मरोग, अपच तथा मृत्यु
की शिकायतें सामने आई हैं। बी.टी. कपास या बी.टी.
मक्का में पाये जाने वाले बैक्टीरिया को अब बैंगन में
डाला जा रहा है, याने अब जैव संवर्धित बैंगन आपकी
थाली में होगा। लोग यह विश्वास करते थे कि सब्जी
को अच्छी तरह धोकर कीटनाशकों के जहरीले असर
को समाप्त किया जा सकता है लेकिन बी.टी. बैंगन में
तो जहरीले तत्व उसके अंदर समाहित हैं, उन्हें आप
कैसे दूर कर सकते हैं?

सालक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज
कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डेव शुबर्ट के अनुसार बीटी

छिड़काव ही इस्तेमाल के लिये
सुरक्षित नहीं है। बीटी फसलों में पाये
जाने वाला विषैला तत्व बी.टी. छिड़काव के मुकाबले
एक हजार गुना प्रभावी होता है। बी.टी. बैंगन के पौधे
और इस पर लगाने वाले बैंगनों में ऐसा विषैला तत्व
(टॉक्सिन) होता है। जो कीटनाशकों से एक हजार
गुना घातक हो सकता है।



**भारत में जिन उत्पादों का जीएम तकनीक
से बने होने का संदेह है उनमें मक्का, कैनोला,
सोया और कॉटन-सीड से बने उत्पाद. इसके
अलावा शिशुओं के लिये फार्मूला प्रोडक्ट,
ब्रेकफास्ट सिरल्स, मायोनेज, क्रेकर्स, चिप्स,
सॉसेज, खाद्य तेल, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न और
कॉर्न सिरप आदि शामिल हैं.**

पिछले दिनों
प्रसिद्ध फिल्मकार
महेश भट्ट ने जीएम
फूड की भयावहता से
जनसामान्य को
अवगत कराने के लिये
पॉयजन ऑन द प्लेटर
नामक लघु फिल्म में
बताया कि एक
प्रजाति के जीन दूसरी
प्रजाति में डालना
घातक है। ऑस्ट्रेलिया
और कई यूरोपियन
देशों में जहां जीएम
बीजों को प्रतिबंधित
किया जा चुका है

इसके विपरीत भारत में इन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है।
वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि जीएम फूड से
कैंसर, नपुंसकता, एलर्जी और चपचप की गडबडी हो
सकती है। इनसे बचने के लिये लोगों को जागरूक
करना होगा। भट्ट का कहना है कि यदि हमने ऐसा
नहीं किया तो अगली पीढ़िया हमें माफ नहीं करेगी।
हमारे देश में सभी क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग का
नियमन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करता है। भारत
विश्व में पहला देश था जिसने सन् 1989 में जीएम
फसलों के लिये दिशा-निर्देश बनाए थे। भारत के
जीएम नियामक विश्व में सबसे कठोर माने जाते हैं।
इसके बावजूद भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग से बने
खतरनाक बीजों की घुसपैठ हो चुकी है। इसके साथ
ही देश में बड़े पैमाने पर जीएम उत्पादों का आयात भी
हो रहा है।

1989 के कानून के तहत जीन तकनीक से
पर्यावरण, प्रकृति और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के जो
नियम बनाए हैं वे जेनेटिकली इंजीनियर्ड आर्गेनिज्म के
साथ ही जी.ई.कोशिकाओं/ आर्गेनिज्म/ ऊतकों से बने
उत्पाद/तत्व या खाद्य पदार्थ सभी पर लागू होते हैं।
इसके अंतर्गत भारत में सभी जी.ई. उत्पादों या खाद्य
पदार्थ के आयात के पहले अनुमति लेनी जरूरी है,
लेकिन वास्तव में ऐसा व्यवहार में नहीं है। देश में
जीएम पदार्थों के आयात की निगरानी की कोई सक्षम
व्यवस्था नहीं है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

विगत अप्रैल से जुलाई 2009 के बीच भारतीय सजीव कृषि समाज ने जैविक खेती के प्रसार तथा सहभागी गारंटी प्रणाली को लोकप्रिय बनाने हेतु निम्नवत प्रयास किये हैं:

उत्तराखंड में महिला-पुरुष किसानों के साथ वार्ता एवं दिशा-निर्देशन :

रानीखेत जिले में कार्यरत संस्था पैन हिमालयन ग्रासरूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से विगत 15 एवं 16 मई को संस्था परिसर में सजीव खेती को लेकर कार्यकर्ताओं तथा इस ओर उन्मुख किसानों के साथ व्यापक वार्ता आयोजित हुई जिसमें उत्तर भारत सचिवालय के निदेशक डा. भारतेन्दु प्रकाश तथा वरिष्ठ कर्मी श्रीमती शोभना श्रीवास्तव ने अपने अनुभव बांटे तथा उत्तराखंड में सहभागी गारंटी प्रणाली के विषय में विस्तार से चर्चा की।

वहां यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अनेक किसान ग्रासरूट्स संस्था के संचालक श्री कल्याण पॉल, श्रीमती अनिता तथा श्री अजय रस्तोगी के अथक प्रयास से अपनी परम्परागत सजीव पद्धतियों की ओर लौटकर उनका व्यापक प्रयास करने लगे हैं। गोबर-गैस का ईंधन तथा स्लरी का खाद के रूप में प्रयोग तथा स्थानीय जलस्रोतों की रक्षा का कार्य बड़े मनोयोग से हो रहा है। स्थानीय फलों तथा सब्जियों को जाम, जैली तथा अचार के रूप में परिणित कर उसके द्वारा अनेक महिलाओं के आय-साधन का तंत्र यहां विकसित हो रहा है।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में सजीव कृषि पद्धतियों तथा फल-सब्जी संरक्षण पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये तथा क्षेत्र भ्रमण कर किसानों तथा उनके परिवारों को प्रोत्साहित किया गया।

बिहार प्रदेश में सजीव किसानों का प्रशिक्षण तथा बिहार ओ.एफ.ए.आई. का गठन:

दिनांक 21 मई 2009 को ओ.एफ.ए.आई.: उत्तर भारत: की ओर से डा. भारतेन्दु प्रकाश, श्रीमती शोभना तथा श्री हरिशचन्द्र ने पटना पहुंचकर सजीव खेती के प्रति समर्पित श्री सिद्धार्थ जायसवाल के साथ किसानों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया (कार्यक्रम का प्रतिवेदन अन्यत्र दिया है)

मध्यप्रदेश में सजीव किसानों का प्रशिक्षण

जून के प्रथम सप्ताह में मध्यप्रदेश- बुंदेलखंड के छतरपुर नगर स्थित गांधी भवन परिसर में फरवरी में प्रारंभ किये सजीव किसानों के प्रशिक्षण का दूसरा द्विदिवसीय सत्र सम्पन्न हुआ जिसके तहत फसलों में लगने वाले कीटों से सुरक्षा हेतु पारम्परिक जैविक तरीकों की चर्चा हुई. रबी फसल की गहाई के पश्चात उत्पादन के स्वस्थ भंडारण में पारम्परिक विधियों के आदान-प्रदान तथा सफल जैविक तरीकों का प्रदर्शन किया गया. भंडारण की प्रक्रिया में प्याज, लहसुन, हींग, कपूर तथा पारदबटी का समुचित प्रयोग एवं वातावरण को आक्सीजन और नमी से मुक्त करने के कई तरीकों का जिक्र हुआ. मध्यप्रदेश के पूर्व कृषि संचालक डा. जी.एस. कौशल ने अपने अनुभवों द्वारा सजीव खेती की महत्ता तथा उसकी संभावनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला. कार्यक्रम का संचालन डा. भारतेन्दु प्रकाश ने किया. इस कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न विधियों का प्रशिक्षण तथा विपणन प्रक्रिया में किसान के हाथ मजबूत करने के लिये सहभागी गारंटी प्रणाली की विस्तृत जानकारी भी दी गई. कार्यक्रम के अंत में दि. 5 जून 2009 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में छतरपुर के महत्वपूर्ण नागरिक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा नगरपालिका के अध्यक्ष सरदारा प्यारा सिंह की उपस्थिति में पर्यावरण तथा आनुवंशिक संशोधित बीजों के दुष्प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई. प्रख्यात फिल्मकार श्री महेश भट्ट द्वारा निर्मित प्यायजन ऑन द प्लैटर तथा पूर्व अमेरिकन उपराष्ट्रपति अलगोर की एक भयानक सत्य फिल्म भी प्रदर्शित की गई. अंत में सहभागियों ने संकल्प लेकर सजीव कृषि करने, सजीव खाद्य प्रयोग में लाने, अपने आसपास बिखरे कूड़े कचरे को कम्पोस्ट के रूप में परिणित करने तथा जल के संरक्षण का निश्चय किया।

मध्यप्रदेश सजीव कृषि समाज का विधिवत गठन

दिनांक 18 जून 2009 को भोपाल में मध्यप्रदेश के सदस्यों को आमंत्रित किया गया तथा उपस्थित लोगों के बीच भारतीय सजीव कृषि समाज की मध्यप्रदेश इकाई का विधिवत गठन किया गया. मध्यप्रदेश सजीव कृषि समाज एमपीओएफए का वर्तमान दायित्व सर्वसम्मति से डा. जी.एस. कौशल को सौंपा गया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

जीएम फसलें अणुबम से भी अधिक भयंकर हैं

शैलेन्द्रनाथ घोष

आनुवंशिक संशोधन को कई नामों से जाना जाता है पर उसकी परिभाषा एक ही है जिसके अंतर्गत एक तरह के प्राणी/जीव-प्रणाली के जीन को बिल्कुल भिन्न प्राणि/जीव-प्रणाली में बलात किसी वायरस या वायरस-समूह के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। उदाहरणार्थ सुअर के जीन टमाटर में, सर्प के जीन ऑर्किड में आदि। जो वायरस या वायरस-समूह इस कार्य का सम्पादन करते हैं वे अत्यंत संक्रामक होते हैं तथा उनका प्रभाव केवल यही तक सीमित नहीं रहता। इसी तरह स्थानांतरित जीन का भी। यह पूरी प्रक्रिया प्रकृति विरोधी है तथा प्राणी या जीवन प्रणाली के लिये भीषण रूप से घातक है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि हिरोशिमा-नागासाकी में परमाणु बम का प्रभाव तो विगत 60 वर्षों में हुआ है और वहाँ घास का अंकुरण प्रारंभ हो गया है किन्तु आनुवंशिक संशोधन (जेनेटिक माडिफिकेशन) का यह



तरीका यदि अपनाया गया तो यह एक भयंकर अपरिवर्तनीय प्रक्रिया होगी जिसका प्रभाव आने वाली असंख्य पीढ़ियाँ भोगेंगी। इससे संपूर्ण पृथ्वी का भविष्य ही खतरे में पड़ जायेगा। करोड़ों वर्षों में प्रकृति में उद्विकास के माध्यम से जो भी स्थायित्व आया है वह सब नष्ट हो जायेगा। इससे प्राणियों मनुष्य, पशु तथा पौधों में नये तरह के रोगों का प्रादुर्भाव होगा, कैंसर जैसी बीमारियों के नये श्रोत पैदा होंगे तथा पूर्णतः अज्ञात महामारियों का फैलाव होगा। परिणामस्वरूप सृष्टि में होने वाली भयावहता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जीएम प्रक्रिया से लाभ कमाने वाली कम्पनियाँ बिल्कुल सफेद झूठ के सहारे लोगों को मूर्ख बना रही हैं कि इससे उत्पादन अधिक होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तथा किसान सुखी और सम्पन्न होगा। विश्व के अनेक देशों उदाहरणार्थ अमेरिका, अर्जेंटाइना, दक्षिण अफ्रीका, यूगांडा, केन्या तथा इंग्लैण्ड व फ्रांस सहित यूरोप के कई देशों में इसके परिणाम निराशाजनक रहे हैं। मैक्सिको ने अपने देश में इस तकनीक को प्रतिबंधित कर दिया तथा यूरोप में तो मानसैंटो कम्पनी को 2003 में ही अपनी दुकान बंद कर देनी पड़ी है। भारत में बीटी कपास के किसान की आत्महत्यायें दिल दहलाने वाली रही हैं।

अमेरिका में जहाँ जीएम फसलें चलन में आई स्वास्थ्य के आंकड़े आँख खोल देने वाले हैं।

प्रथम पृष्ठ का शेष

जहर बुझा खाद्यान्न...

सोया तेल का उत्पादन करने वाले देशों में जीएम. और गैर जीएम सोयाबीन के बीच में कोई भेद नहीं किया जाता है. अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना में जीएम सोया ही पैदा होता है, जहां से हम तेल आयात करते हैं. पर्यावरण संस्था ग्रीनपीस को 2001 में भारत में कुछ सुपर मार्केटों में बेचे जा रहे. आयातित खाद्य पदार्थों के निरीक्षण से पता चला था कि नेस्ले जैसी कंपनियों के आलू, चिप्स, और बेबी फूड्स आदि उत्पादों में जीएम उत्पादों/तत्वों की मिलावट की गई थी. खतरनाक बात यह है कि इन पर इसका लेबल भी नहीं था कि ये जीएम फसलों से बने हैं. भारत में जिन उत्पादों का जीएम तकनीक से बने होने का संदेह है उनमें मक्का, कैनोला, सोया और कॉटन- सीड से बने उत्पाद. इसके अलावा शिशुओं के लिये फार्मूला प्रोडक्ट, ब्रेकफास्ट सिरल्स, मायोनेज, क्रेकर्स, चिप्स,

सॉसेज, खाद्य तेल, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न और कॉर्न सिरप आदि शामिल हैं. सुपर मार्केट में उपलब्ध ये उत्पाद जीएम तकनीक में संक्रमित हो सकते हैं. सुरक्षा की दृष्टिकोण से इन्हें प्रमाणीकृत नहीं किया गया है. अर्थशास्त्री अरूणा रोड्रिगज और अन्य तीन याचिकाओं ने 2005 में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि जीएम. खाद्य पदार्थों व उत्पादों के लिए एक लेबलिंग सेल स्थापित किया जाय. परीक्षण किए बिना या बिना प्रमाणीकृत "जीएम मुक्त" का लेबल लगाए जाने तक देश में किसी भी बायोलॉजिकल आर्गेनिज्म, खाद्य या पशु आहार का आयात प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए.

सरकार को चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव को नकार कर नेशनल बायोटेक रेग्युलेटरी एक्ट की कमियों को दूर कर जीएम खाद्य पदार्थों के खतरों से जनसामान्य को बचाने हेतु ठोस पहल करें

(सप्रेस)

बहादुरपुर: बिहार में सजीव खेती का प्रशिक्षण



पटना से 70 किलोमीटर दूर अरवल जिले के बहादुरपुर गांव में श्री सिद्धार्थ जायसवाल एवं श्री निखिल कुमार सिंह के आग्रह पर भारतीय सजीव कृषि समाज के उत्तर भारत संयोजन के सहयोग से स्थानीय किसानों हेतु सजीव खेती के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम दिनांक 22 से 25 मई के दौरान आयोजित किया गया जिसका स्थानीय खर्च आयोजकों ने वहन कर पूरे अभियान को संबल प्रदान किया. स्थानीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस सहभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन भारतीय सजीव कृषि समाज ओएफएआई के उत्तर भारतीय कार्यालय के निदेशक डा. भारतेन्दु प्रकाश ने किया जिसमें प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई.

1. हरितक्रांति के दुष्प्रभाव: जमीन पानी हवा सभी का प्रदूषण.
2. मशीनी तथा रसायनिक कृषि के बढ़ावे के साथ किसानों की दुर्दशा, उनकी बढ़ती आत्महत्यायें.
3. बीजों का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन्तु बढ़ती खाद्य-असुरक्षा.

4. सजीव खेती के सर्वांगीण लाभ.
 5. भूमि की उर्वरता कायम रखने के लिये गोबर तथा गोमूत्र के विभिन्न प्रयोग.
 6. नाडेप, वर्मी-कम्पोस्ट निर्माण पद्धतियाँ.
 7. संजीवक निर्माण एवं उसका उपयोग.
 8. औषधीय पौधों का उत्पादन: पटना से डाबर इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुतिकरण,
 9. देशी बीजों का संरक्षण, बीज-प्रशोधन, अनाज भंडारण तथा खाद्य प्रसंस्करण.
 10. सामान्य रोगों में उपलब्ध जड़ी-बूटियों द्वारा इलाज, साधारण औषधि-योगों का निर्माण आदि.
- कार्यक्रम में संसाधन व्यक्तियों के रूप में किसान विज्ञान केंद्र से ही हरिश्चंद्र तथा श्रीमती शोभना श्रीवास्तव ने भी पूरे समय भाग लिया. कार्यक्रम के तहत सजीव खेती के सिद्धांतों के साथ-साथ किसानों के अनुभवों पर चर्चा तथा प्रायोगिक रूप से विभिन्न विधियों का प्रदर्शन इस कार्यक्रम की विशिष्टता रही.

(प्रस्तुति - हरिश्चंद्र)

आवश्यक जानकारी

विदेशी कम्पनी के खतरनाक रसायन

ग्लाइफोसेट खरपतवारनाशी तथा मानसैंटो कम्पनी के राउंड-अप यौगिक अत्यंत खतरनाक रसायन हैं विश्व में सबसे अधिक बिकने तथा प्रयोग में लाया जाने वाले ग्लायफोसेट खरपतवारनाशी रसायन तथा आनुवंशिक संशोधित फसलों पर प्रयोग में लाया जाने वाला मॉनसैंटो कम्पनी के राउंडअप योगों पर विगत 10 वर्षों में हुए शोध के परिणाम बहुत भयंकर सिद्ध हुए हैं. इन दोनों ही योगों की अल्पतम संस्तुत मात्रा भी मित्र जीवों तथा मनुष्यों के लिये भी अत्यंत घातक सिद्ध हुई है.

फ्रांस के कायन विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक गिले इरिक सेरालिनी के नेतृत्व में शोध कर्ताओं के एक दल ने ग्लायफोसेट तथा राउंड-अप रसायनों की अतिसूक्ष्म मात्रा को भी मानव शरीर की कोशिकाओं के लिये खतरनाक पाया है. इन योगों का प्रभाव सीधे कोशिकाओं की झिल्ली पर पड़ता है, ये उसके मेटोकांडिया के एनर्जी-मेटाबोलिज्म को विषैला करते हैं तथा केन्द्रक- डीएनए को विभक्त कर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं. सेरालिनी के शोध समूह तथा डिजों के बरगुंडी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर किये गये अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि इन रसायन यौगिकों की सूक्ष्म मात्रा भी मनुष्य के सेक्स-हार्मोन्स के संश्लेषण तथा उनकी प्रक्रिया को अस्त-व्यस्त कर देती है. ग्लायफोसेट खरपतवारनाशी जमीन के सतही जल तथा नदियों को प्रदूषित करते हैं. इससे मत्स्यपालन का पूरा उद्योग संकट में पड़ जाने वाला है. इनसे भारी धातु जनित विषैलेपन का भी खतरा है. अब पश्चिम में भी यह माँग जोर पकड़ रही है कि ग्लायफोसेट खरपतवारनाशी तथा राउंड-अप जैसे कीटनाशी योगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे. अमेरिका में कैंसर रोगियों की 50 गुना वृद्धि के पीछे इसे महत्वपूर्ण कारक बताया गया है. जीएम फसलों में प्रयोग किये जाने वाले कीट रसायन तथा उनके यौगिक इस समस्या को और कई गुना बढ़ा देते हैं. संक्षेप में कहें तो यह है कि जी.एम. फसल दुर्भिक्ष, भूख, बीमारी तथा मृत्यु का दूसरा नाम है. विगत दिनों भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व की खंडपीठ ने जीएम फसलों के बारे में प्रसिद्ध पर्यावरण विद् डा. सुमन सहाय की याचिका पर एक दीर्घकालिक प्रभाव का निर्णय दिया है जिसके अंतर्गत भारत की जेनेटिक इंजीनियरी अप्रूवल कमेटी को निम्न निर्देश दिये गये हैं:

1. प्रस्तावित जीएम फसलों की विषाक्तता तथा संक्रामकता का पूरी तरह अध्ययन किया जाय.
2. अन्य फसलों को इनके संक्रमण से बचाने हेतु इन फसलों वाले खेतों की उनसे पर्याप्त आवश्यक दूरी का अध्ययन सुनिश्चित किया जाय.
3. सम्पूर्ण शोध जनित जानकारी को वेब के माध्यम से सार्वजनिक किया जाये ताकि स्वतंत्र कार्यशील वैज्ञानिक तथ्यों को जांच सकें.

यह एक अच्छा एवं स्वस्थ निर्देश है जिसके तहत विज्ञान के सर्वनाशी स्वरूप पर अंकुश लग सकता है क्योंकि स्वतंत्र वैज्ञानिक शोधों के अनुसार जीएम तकनीक मनुष्य द्वारा विकसित आज तक की तकनीकों में सर्वाधिक भयंकर है. सवाल यह जरूर है कि उस जेनेटिक इंजीनियरी अप्रूवल कमेटी में कौन सदस्य हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और उनके ऊपर किसी अन्य शक्तियों का प्रभाव न हो इसकी गारंटी क्या है? यह प्रश्न इसलिये मौजूद है क्योंकि अमेरिका तक में उन कम्पनियों के विरुद्ध आवाज कम ही लोग उठा पाते हैं.

शस्यश्यामला का ग्यारहवां अंक आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है. इस लघु पत्र ने अपने छोटे से कार्यकाल में काफी बड़ी दूरियां नापी हैं. उत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर तक तथा उड़ीसा से गुजरात तक अनेकों किसानों तथा सजीव खेती को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं तक इसे प्रेषित कर मुझे पर्याप्त संतोष मिला है.

उत्तर भारतीय आंचलिक कार्यालय की ओर से विगत जुलाई में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में इस वर्ष पर्याप्त उपस्थिति दर्ज हुई और बैठक का दो दिनों का कार्यक्रम अविस्मरणीय सिद्ध हुआ. मध्यप्रदेश के स्वनामधन्य कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री मेघराज जैन, राज्य कृषक आयोग के सदस्य सचिव श्री डीपी दुबे, कृषि संचालक डा. डी.एन. शर्मा, संयुक्त कृषि संचालक श्री के.पी. अहरवाल के अतिरिक्त म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रो. पी.के. वर्मा तथा अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा जीवाजीराव विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा. राधारमण दास आदि ने भारतीय सजीव कृषि समाज को स्नेह एवं संबल देकर अपने भावी सहयोग का आश्वासन दिया. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में म.प्र. में नवगठित सजीव कृषि समाज के संयोजक डा. जी.एस. कौशल तथा किसानों के मित्र श्री अजय कुमार आदि का सहयोग महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ. हमें इन सबका हार्दिक आभार मानना चाहिए.

उत्तर भारत के लिये 2009 सूखे का वर्ष है और इस समय सभी को यह महसूस हो रहा है कि रसायनिक खेती इन परिस्थितियों में और अधिक विनाशकारी है. भूमि की जलधारण क्षमता कायम रखने तथा उसे सर्वाधिकृत करने हेतु जीवांश की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है और यह केवल सजीव पद्धति अपनाने से ही प्राप्त हो सकती है. कृषि तथा किसान को यदि आत्मनिर्भर बनाना है और देश की खाद्य-व्यवस्था को यदि टिकाऊ बनाना है तो इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है.

दूसरी बात जो चिन्तनीय है:

हमारे देश में कृषि तथा मौसम की समझ गांव के किसानों तथा बुजुर्गों को हमेशा से रही है पर आधुनिक खेती को तथाकथित वैज्ञानिक स्वरूप देने की त्वरा में यह संपूर्ण देश ज्ञान नकार दिया गया है. अब न किसी को घाघ या डाक याद है और न ही भड्डरी. सब आधे अधूरे पश्चिमी ज्ञान तथा महंगे यंत्रों के सहारे मौसम का अनुमान करते रहते हैं. स्वतंत्रचेता वैज्ञानिकों से हमारा अनुरोध है कृपया इस विषय को अपने अध्ययन का विषय बनायें।

यह अंक आपके हाथों पहुंचने तक बंगलोर में दक्षिण एशियाई सजीव कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो चुका होगा। भारतीय सजीव कृषि समाज के लिये यह बड़ी उपलब्धि है। तथा सजीव किसानों को अपनी बिरादरी बढ़ाने का सुनहरा अवसर, हमारी ओर से सभी को हार्दिक बधाई।

- भारतेन्दु प्रकाश

भोपाल में भारतीय सजीव कृषि समाज की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक सम्पन्न



विगत दिनांक 25 एवं 26 जुलाई को भारतीय सजीव कृषि समाज की राष्ट्रीय संचालन समिति की दसवीं बैठक भोपाल स्थित आयकफ आश्रम में आयोजित की गई जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा हरियाणा-पंजाब से पधारे वरिष्ठ सदस्यों ने संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों, विगत वर्ष संपादित कार्यों तथा आगामी रणनीति पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डा. भारतेन्दु प्रकाश ने तथा संचालन डा. क्लॉड अलवारोस ने किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में सक्रिय संगठनों के

प्रतिनिधि तथा शासन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ प्रदेश में जैविक खेती की ओर अधिक प्रोत्साहन देने, समुचित नीति निर्माण तथा वातावरण सृजन की भी चर्चा हुई। मध्यप्रदेश के कृषि संचालक डा. डी.एन. शर्मा, संयुक्त संचालक श्री के.पी. अहरवाल, राज्य कृषक आयोग के सदस्य सचिव श्री डी.पी. दुबे, म.प्र. विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के सर सी.वी.रमन फेलो डॉ. राधारमण दास, वैज्ञानिक डा. राजेश सक्सेना, लखनऊ से पधारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. नरेन्द्र मेहरोत्रा, प्राकृतिक कृषि-ऋषि श्री दीपक सचदे, वरिष्ठ प्रशासक एवं

पर्यावरणविद् श्री राजेश गुप्ता आदि ने अपने सुझावों से भारतीय सजीव कृषि समाज की गतिविधियों को इस क्षेत्र में परस्पर सहयोग द्वारा और अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा दी।

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डा. पी.के. वर्मा ने सहभागियों के सम्मान में स्थानीय पलाश होटल में सायंकालीन भोज के लिये आमंत्रित किया जिसमें मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री डा. रामकृष्ण कुसमरिया तथा प्रदेश गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री मेघराज जैन की गरिमामयी उपस्थिति तथा उनके महत्वपूर्ण वक्तव्यों से सभी को प्रेरणा मिली। यह संयोग ही था कि

उस दिन 25 जुलाई से ही होटल पलाश ने अपने यहां जैविक भोजन उपलब्ध कराने का संकल्प भी घोषित किया।

दूसरे दिन 26 जुलाई को सभी सहभागी श्री राजेश गुप्ता तथा श्री दीपक सचदे द्वारा विकसित किये जा रहे जैविक कृषि संसाधन क्षेत्र को देखने गये, उसी दिन सायंकाल 1984 में घटित भोपाल गैस कांड के पीड़ितों से यूनिजन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर के समीप निर्मित स्मारक पर मिले तथा कृषि रसायन द्वारा हुए इस जघन्य कांड की निंदा की, पीड़ितों से समभाव प्रदर्शित किया तथा दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रस्तुति : श्रीमती शोभना श्रीवास्तव

सजीव कृषि का बढ़ता प्रभाव

उत्तर भारत में सक्रिय एक अत्यंत सक्रिय संगठन खेती विरासत मिशन ने पंजाब एवं हरियाणा प्रदेशों में सजीव कृषि का वातावरण बनाने तथा इस दिशा में किसानों को प्रेरित, प्रशिक्षण तथा प्रवृत्त करने का बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। मई 2009 के प्रथम सप्ताह में फजिल्का जिले में खेती विरासत मिशन के प्रमुख श्री उमेन्द्र दत्त द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारतीय सजीव कृषि समाज के अतिरिक्त निदेशक श्री मिगेल ब्रागांजा सम्मिलित हुए।

इस कार्यक्रम में सिंचित क्षेत्र के बड़े कृषि क्षेत्रों को सजीव कृषि के लिये तैयार करने में आने वाली समस्याओं तथा विधियों पर चर्चा हुई। समग्र सजीव खेती तथा पंचगव्य जैसे प्रयोगों के प्रति किसान अत्यंत उत्सुक दिखे। उन्हें विस्तार से सहभागी गारंटी प्रणाली बताई गई। इस दिशा में किसानों के समूह बनाने तथा उनके संकल्प पत्र भरने के लिये उत्तर भारत सचिवालय द्वारा हिंदी में प्रकाशित जैविक लेबल योजना पुस्तक को आधार मानने का सुझाव दिया गया।

मध्यप्रदेश में विवादास्पद फसल का परीक्षण

दुनियाभर में विवादास्पद जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फसल का मध्य प्रदेश में खुली जमीन पर परीक्षण किया जा रहा है। राज्य में पूरी तरह जैविक खेती के वादों के बीच जबलपुर के नेशनल रिसर्च सेंटर फार वीड साइंस (एनआरसीडब्ल्यूएस) में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी मोंसांटो द्वारा तैयार जीएम मक्के के बीज बोए गये हैं। देश में अभी तक इस फसल के मानव शरीर पर स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर स्वतंत्र अध्ययन अध्ययन नहीं हुए हैं। ऐसे में खुली जमीन पर इसके परीक्षण पर पर्यावरणविद् सवाल उठा रहे हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि जीएम फसल का प्रयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये तो हानिकारक है ही खुले वातावरण में इसके परीक्षण के भी कम खतरे नहीं हैं। भोपाल आई खेती विरासत मिशन की कविता कुरुंगति का कहना है कि जीएम बीजों से आसपास की फसल के संक्रमित होने और बीज के गैरकानूनी रूप से बाजार में पहुंचने की आशंका बनी रहती है। 2001-02 में गुजरात में बीटी कॉटन और 2008 में झारखंड में बीटी राइस के परीक्षण के दौरान ऐसे ही मामले सामने आये थे। उनका कहना है कि जिस मक्के का परीक्षण जबलपुर में चल रहा है, ऑस्ट्रिया सरकार द्वारा किये गये एक अध्ययन में उसी मक्के के द्वारा चूहों का प्रजनन क्षमता पर बेहद नकारात्मक प्रभाव सामने आये हैं। कई प्रदेश खुद को जैविक राज्य घोषित कर चुके हैं। किसानों ने खुद आगे आकर इस तरह के परीक्षणों का विरोध किया है। (दैनिक भास्कर, भोपाल में कुमार संभव की रिपोर्ट)

Book - Post

सेवा में, _____

पिन _____

प्रेषक : किसान विज्ञान केन्द्र, तिन्दवारी (बाँदा) 210 128, (उत्तर प्रदेश), मोबा.: 09452508251

ofai.north@gmail.com shashya.shyamala@gmail.com

भारतीय सजीव कृषि समाज के लिये डॉ. भारतेन्दु प्रकाश द्वारा संपादित, मो.- 9425814405 एवं कृषक जगत प्रिंटिंग वर्क्स, 14, प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल मो. 09826255861 द्वारा मुद्रित

सदस्यता हेतु सम्पर्क करें : भारतीय सजीव कृषि समाज, जी-8, सेंट ब्रिट्टो-अपार्टमेंट, फायरा आल्टा, मापूसा-403507 गोवा (भारत)